रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/009/2003—05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-सा.-22062021-227771
SG-DL-W-22062021-227771

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 08]	दिल्ली, जून 4—जून 10, 2021, बृहस्पतिवार/ ज्येष्ठ 14 — ज्येष्ठ 20, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 40
No. 08]	DELHI, JUNE 4—JUNE 10, 2021, THURSDAY/JYAISTHA 14— JYAISTHA 20, 1943	[N.C.T.D. No. 40

भाग —IV
PART –IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एंव संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़
आदेश

दिल्ली, 4.जून, 2021

फा.सं. / ए–1(81) / प्रशाः / रा.चु.आ / 2021 / 294.—

जबकि, दिल्ली के तीनो नगर निगमों में 23.04.2017 को आम चुनाव हुआ।

और, जबकि लड़ने वाले उम्मीदवार को दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2012 के नियम 104 के प्रावधानों के अनुसार अपने चुनाव खर्चो के लिए खाते का ब्यौरा दाखिल करना था।

और, जबकि उक्त नियमों और विशेष रूप से नियम 104 (2) के अनुसार प्रस्तुत खातों का प्रमाणीकरण फार्म 20 के माध्यम से हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है। निर्देश, प्रांसगिक नियम और फॉर्म 20 की प्रतिलिपि विधिवत् रूप से निहित चुनाव खर्चों के रजिस्टर में प्रस्तुत है, जिसे प्रत्येक उम्मीदवार को दाखिल करना होता है।

और, जबकि, श्रीमती कल्पना झा ने 06.05.2017 को चुनाव खर्च का विवरण दर्ज किया था लेकिन प्रस्तुत किया गया शपथपत्र (जो विधिवत नियमों के नियम 104 (2) के अनुपालन में आवश्यक) दिनांकित 09.05.2017 था जबकि उसको दाखिल करने की अंतिम तिथि 06.05.2017 थी।

और जबकि, नियमों के अनुसार आयोग द्वारा कारण बताओं नोटिस श्रीमती कल्पना झा को भेजा था, लेकिन वह नोटिस दिनांक 07.09.2020 को “Left from address” टिप्पणी के साथ आयोग को वापिस लौटा दिया गया।

और जबकि, श्रीमती कल्पना झा को तदनुसार उपरोक्त नियमों के तहत आदेश स0 F.1(81)/Admn/SEC/2020/7130 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार 06 वर्ष के लिए चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

और जबकि, श्रीमती कल्पना झा ने 01.03.2021 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने सभी व्यय विवरण समय पर प्रस्तुत किए हैं तथा माना है कि उन्होंने शपथपत्र 2–3 दिनों की देरी से जमा किया है इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं साथ ही उन्होंने यह भी बताया की अपना निवास स्थान बदलने के कारण उन्हें कोई पत्र नहीं मिल पाया इस प्रकार से क्षमा मांगते हुए भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अपनी अयोग्यता को हटाने की प्रार्थना की है।

अब इसलिए मामले के समग्र तथ्यों तथा प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों को सत्य मानने का अनुरोध करने के बाद मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हूँ और उपरोक्त नियमों के नियम 111 के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए, श्रीमती कल्पना झा को तत्काल प्रभाव से अयोग्य उम्मीद्वारों की सूची से हटाता हूँ। इस चूक का रिकॉर्ड पर विधिवत् उल्लेख किया गया है और श्रीमती कल्पना झा को सावधान किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो। साथ ही श्रीमती कल्पना झा को चेतावनी भी दी जाती हैं कि पते के परिवर्तन को विधिवत् अधिसूचित करें

संजय कुमार श्रीवास्तव,

राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

N.C.T. OF DELHI AND UT CHANDIGARH

ORDER

Delhi, the 4th June, 2021

No. F.1/ (81)/SEC/ADMN/2021/294.—

WHEREAS General Election to the three Municipal Corporations of Delhi were held on 23.04.2017.

AND WHEREAS every contesting candidate was required to file the accounts for election expenses in accordance with the provisions of Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

AND WHEREAS the said rules and more particularly Rule 104 (2) requires due authentication of the accounts submitted by way of filing a supporting affidavit in form 20. A copy of the instructions, relevant rules and of Form 20 are duly contained and reproduced in the Register of election expenses, which is to be filed by every candidate.

AND WHEREAS Smt. Kalpana Jha had submitted account of election expenditure on 06.5.2017. But it was noticed that affidavit (required in compliance of Rule 104 (2) of the aforesaid Rules) submitted by her was dated 09.05.2017 while the last date for filing of account was 06.05.2017.

AND WHEREAS a Show Cause Notice was sent to Smt. Kalpana Jha in accordance with the aforesaid Rules but the same was returned undelivered on 07.09.2020 with the remarks “Left from address”.

AND WHEREAS Smt.Kalpna Jha was accordingly disqualified under rule 110 of said rules for 06 years vide Order No. F.1(81)/Admin./SEC/2020/7130 dated 25.01.2021.

AND WHEREAS Smt.Kalpna Jha has now submitted a representation on 01.03.2021 wherein she has stated that she submitted all election related expenses details in time and also admitted that she filed affidavit after the delay of 2-3 days. She apologized for the same. She has further stated that she had not received any letter because she changed her residence. She has apologized this lapse and requested to remove her disqualification under rule 111 of the said Rules.

NOW, THEREFORE, having considered overall facts of the case and request of Smt. Kalpana Jha for considering it to be bonafide, I, S.K. Srivastava, State Election Commissioner, am satisfied with the explanation and

remove her disqualification, invoking the powers under Rule 111 of the aforesaid Rules, with immediate effect. She is however cautioned to be careful on this account in future and this omission has been duly noted on record. She is also warned that change of address need to be duly notified.

S.K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.22 20:33:29 +05'30'